संख्या 150 / 2020/यू0ओ0 99 / सात-न्याय -9(बजट)-2020-1217/20(विधायी-1)

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-।।
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
विधायी,
उ0प्र0 शासन ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर,2020**

विषय- प्रमुख सचिव विधायी विभाग के कार्यालय कक्ष में डिसप्ले बोर्ड लगाये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-110/2020/361/सात-न्याय-9(बजट)-2020-1(ब)/2020, दिनांक 09-04-2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशाशीर्षक " 2014-न्याय प्रशासन-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता के मानक मद 08-कार्यालय व्यय " से प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 8.95 लाख मे से रू0 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) की धनराशि प्रमुख सचिव विधायी विभाग के कार्यालय कक्ष में डिसप्ले बोर्ड लगाये जाने हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राजयपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन--114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता के मानक मद 08-कार्यालय व्यय के नामे डाला जायेगा ।

3- उपर्युक्त स्वीकृति शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/ बी-1-49/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च ,2020 में निहित निर्देशों के अनुसार दी जा रही है।

भवदीय,

(जे0पी0 सिंह-।।)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 150 /2020/यू0ओ0 99(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्निलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2 - निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय,प्रथम तल जवाहर भवन, लखनऊ ।

3- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

4- विशेष सचिव, न्याय अनुभाग-8 (लेखा प्रकोष्ठ) को आदेश की एक अतिरिक्त प्रति सहित ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 /गार्डबुक न्याय-9(बजट)।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**